

सलाहकार समतिका डीज़ल 4-पहिया वाहनों पर प्रतबिंध लगाने का सुझाव

प्रलिमिस के लिये:

[राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मशिन, फेम योजना, शुद्ध-शून्य लक्ष्य 2070, इलेक्ट्रिक वाहन](#)

मेन्स के लिये:

[अक्षय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में भारत का संकरमण](#), डीज़ल चालति वाहनों का प्रभाव, शुद्ध-शून्य लक्ष्य 2070 को प्राप्त करने की भारत की रणनीतियाँ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा गठित ऊर्जा संकरमण सलाहकार समतिने सफिरशि की है कि भारत को वर्ष 2027 तक डीज़ल संचालित 4-पहिया वाहनों पर प्रतबिंध लगाना चाहिये एवं उत्सर्जन को कम करने हेतु दस लाख से अधिक आबादी वाले तथा प्रदूषित शहरों में इलेक्ट्रिक व गैस-ईंधन चालति वाहनों को अपनाना चाहिये।

- पूर्व पेट्रोलियम सचिव तरुण कपूर की अध्यक्षता वाली समतिनेवर्ष 2035 तक आंतरिक दहन इंजन वाले मोटरसाइकिल, स्कूटर और तपिहिया वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने का भी सुझाव दिया।

समतिकी सफिरशि:


- नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाना:
 - भारत विश्व स्तर पर ग्रीनहाउस गैसों के सबसे बड़े उत्सर्जकों में से एक है, अतः इसे अपने [शुद्ध-शून्य लक्ष्य 2070](#) को प्राप्त करने हेतु नवीकरणीय ऊर्जा को माध्यम से 40% विद्युत ऊर्जा उत्पादन करना चाहिये।
 - इसके अनुरूप पैनल की रपोर्ट बताती है कि वर्ष 2030 तक केवल इलेक्ट्रिक सटी बसों को जोड़ा जाना चाहिये, डीज़ल सटी बसों को वर्ष 2024 से चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाना चाहिये।
 - इसने प्रत्येक श्रेणी में लगभग 50% हस्सेदारी के साथ आंशकि रूप से इलेक्ट्रिक और आंशकि रूप से [इथेनॉल-मशिरति पेट्रोल](#) के उपयोग का आहवान किया।
- EV उपयोग को बढ़ावा देने हेतु प्रोत्साहन:
 - देश में [इलेक्ट्रिक वाहन \(Electric Vehicle- EV\)](#) के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु रपोर्ट [फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स संकीर्ण \(FAME\)](#) के तहत प्रोत्साहन के लक्ष्यि वसितार की मांग करती है।
- गैस चालति ट्रकों और रेलवे में संकरमण:
 - पैनल ने यह भी सफिरशि की है कि विस्तृतों की आवाजाही हेतु रेलवे और गैस चालति ट्रकों के अधिक उपयोग के साथ वर्ष 2024 से केवल विद्युत चालति शहर के डलीवरी वाहनों को नए पंजीकरण की अनुमतिदी जानी चाहिये।
 - रेलवे नेटवर्क के दो से तीन वर्ष के भीतर पूरी तरह से इलेक्ट्रिक होने की उम्मीद है। पैनल के अनुसार, भारत में लंबी दूरी की बसों को दीर्घकाल तक विद्युत से संचालित किया जाना चाहिये, जिसमें पेट्रोल अगले 10-15 वर्षों में संक्रमणकालीन ईंधन के रूप में काम करेगा।
- ऊर्जा मशिरण में गैस की हस्सेदारी में वृद्धि:
 - भारत का लक्ष्य 2030 तक अपने [ऊर्जा मशिरण में गैस](#) की हस्सेदारी को मौजूदा 6.2% से बढ़ाकर 15% करना है।
 - इस लक्ष्य को हासिल करने हेतु पैनल नेदो महीने की मांग के बराबर भूमिगत गैस भंडारण का निर्माण करने का सुझाव दिया है।
 - पैनल विदेशी गैस उत्पादक कंपनियों की भागीदारी के साथ गैस भंडारण के निर्माण हेतु घटते तेल एवं गैस क्षेत्रों, नमक की गुफाओं तथा एक्वीफर्स के उपयोग की भी सफिरशि करता है।

भारत में डीज़ल की खपत:

■ खपत पैटर्न:

- वर्तमान में भारत के पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में डीजल की हस्तिकारी लगभग 40% है, जिसका 80% परविहन क्षेत्र में उपयोग किया जाता है।
- भारत में पेट्रोल और डीजल की मांग वर्ष 2040 में चरम पर पहुँचने और उसके बाद के समय में वाहनों के विद्युतीकरण के कारण इसकी मांग में गिरावट आने की उम्मीद है।

Sector-wise Diesel Consumption (2021)



■ डीजल की उच्च प्राथमिकता का कारण:

- पेट्रोल चालति परविहन साधनों की तुलना में डीजल इंजनों की उच्च ईंधन बचत इसकी प्राथमिकता का एक कारक है। यह प्रतिलिप्त डीजल की अधिक ऊर्जा क्षमता और डीजल इंजन की अंतर्निहित दक्षता के कारण है।
- डीजल इंजन में उच्च-वोल्टेज स्पारक इग्निशन (स्पारक प्लग) का उपयोग नहीं किया जाता है और इस प्रकार प्रतिक्लिप्पिटर कम ईंधन का उपयोग होता है क्योंकि डीजल ईंधन में उच्च संपीड़न अनुपात होता है जिससे यह भारी वाहनों के लिये काफी उपयोगी ईंधन बन जाता है।
- इसके अलावा डीजल इंजन अधिक टॉर्क (घूरण बल अथवा ट्रन्झिंग फोर्स) प्रदान करते हैं और इन इंजनों के बंद होने की संभावना कम होती है क्योंकि वे एक यांत्रिक अथवा इलेक्ट्रॉनिक संचालक द्वारा नियंत्रित होते हैं जो कि द्विलाइंस के लिये बेहतर साबित होते हैं।

■ डीजल चालति वाहनों का प्रभाव:

- वायु प्रदूषण:**
 - डीजल इंजन उच्च स्तर के पार्टिकुलेट मैटर और नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जन करते हैं, जो वायु प्रदूषण में योगदान करते हैं एवं मनुष्यों तथा वन्यजीवों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं।
- ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन:**
 - चूंकि डीजल इंजन में ईंधन की खपत कम होती है, वे उच्च स्तर के कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी करते हैं जो जलवायु परिवर्तन में योगदान देता है।
- ध्वनि प्रदूषण:**
 - डीजल इंजन आपत्तौर पर गैसोलीन इंजनों की तुलना में अधिक आवाज उत्पन्न करते हैं, जिससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ सकता है और यह शहरी क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है।
- प्रयावरणीय क्षति:**
 - डीजल के रसायन से गंभीर प्रयावरणीय क्षति हो सकती है, वशिष्टकर यदि जब रसायन जल स्रोतों या संवेदनशील पारस्परिक तंत्र के नकिट होता है।

डीजल आधारित वाणिज्यिक वाहनों पर प्रतिबंध के कारण चुनौतियाँ:

- व्यावहारिकता और कार्यान्वयन:
 - मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहनों की तुलना में प्रस्तावित डीज़ल प्रतिबंध की व्यावहारिकता को लेकर अनश्वितिता की स्थिति बिनी हुई है।
 - इसके परणिमासवरूप रसद आपूरत और सार्वजनिक परविहन सेवाओं के संचालन में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है।
- परविहन क्षेत्र में डीज़ल का दबदबा:
 - लंबी दूरी के परविहन और शहरी बस सेवाओं के लिये डीज़ल पर अत्यधिक नियमितता बनी हुई है।
 - परविहन क्षेत्र में डीज़ल की खपत लगभग 87 प्रतिशत है, जबकि ट्रकों एवं बसों में डीज़ल की खपत लगभग 68 प्रतिशत है।
- रूपांतरण चुनौतियाँ:
 - डीज़ल चालति ट्रकों को संपीड़ित प्राकृतिक गैस (CNG) में परविहन करने की सीमाएँ हैं।
 - CNG का उपयोग मुख्य रूप से छोटी दूरी के लिये अनुकूल है और इसकी टन भार वहन क्षमता कम है।
- वर्तमान उत्सर्जन मानदंडों का अनुपालन:
 - वाहन नियमाताओं का तरक है कि डीज़ल वाहन मौजूदा उत्सर्जन मानदंडों का पालन करते हैं।
 - डीज़ल बेडे को **BS-VI उत्सर्जन मानदंडों** में बदलने के लिये कार नियमाताओं द्वारा महत्वपूर्ण नियश किये गए हैं और डीज़ल वाहनों पर प्रतिबंध से उनका समय, पैसा और प्रयास व्यरथ चला जाएगा।

नवीकरणीय ऊर्जा आधारित परविहन क्षेत्र हेतु भारत की पहल:

- **FAME योजना:**
 - यह EV नियमान और इसे अपनाने के लिये राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान करती है।
 - वर्ष 2030 तक विद्युत वाहनों की हस्सेदारी 30% तक करने का लक्ष्य।
 - यह शहरी केंद्रों में चार्जिंग तकनीक और स्टेशनों की तैनाती का समर्थन करती है।
- परविहनकारी गतशीलता और बैटरी भंडारण पर राष्ट्रीय मिशन:
 - इसका उद्देश्य हवा की गुणवत्ता में सुधार करना, तेल आयात पर नियमितता को कम करना और नवीकरणीय ऊर्जा एवं भंडारण समाधानों को बढ़ाना है।
 - इलेक्ट्रिक वाहनों, इसके कल-पूर्जों, और बैटरी के साथ-साथ करांतिकारी परविहन के लिये पहल पहल चरणबद्ध नियमान योजनाओं को बढ़ावा देना।
- लथियम-आयन सेल बैटरियों के लिये सीमा शुल्क छूट:
 - सरकार ने लथियम-आयन सेल बैटरियों के आयात को सीमा शुल्क से छूट दी है ताकि भारत में उनकी लागत कम की जा सके और उनका उत्पादन बढ़ाया जा सके।
- **राष्ट्रीय हरति हाइड्रोजन मिशन:**
 - इस मिशन का उद्देश्य उदयोग, परविहन और बजिली जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिये स्वच्छ एवं कफियती ऊर्जा स्रोत के रूप में हरति हाइड्रोजन को विकसित करना है।
 - इसमें हरति हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्रों की स्थापना, भंडारण और वितरण अवसंरचना तथा अंतमि उपयोग अनुप्रयोगों की प्रक्रिया की गई है।
- **इथेनॉल सम्मिश्रण:**
 - इसमें जीवाशम ईधन पर नियमितता और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिये पेट्रोल के साथ इथेनॉल को मिलाना शामिल है।
 - भारत में पेट्रोल में इथेनॉल सम्मिश्रण का स्तर 9.99 प्रतिशत तक पहुँच गया है। पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल सम्मिश्रण (जिसे E20 भी कहा जाता है) का लक्ष्य वर्ष 2030 से 2025 कर दिया गया है।
- **PLI योजना** के तहत प्रोत्साहन:
 - इसे ऑटोमोबाइल और ऑटो-कंपोनेंट उदयोग सहति विभिन्न उदयोगों के लिये लागू किया गया है।
 - एडवांस सेल केमिकल बैटरी स्टोरेज नियमान के विकास के लिये लगभग 18,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किये गए।
 - इन प्रोत्साहनों का उद्देश्य **इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs)** के स्वदेशी विकास को प्रोत्साहित करना है ताकि उनकी अग्रमियता लागत को कम किया जा सके।
- **SATAT योजना:**
 - सस्टेनेबल अल्टरनेटवि ट्रुवरडस अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन (SATAT) पहल का उद्देश्य वैकल्पिक, हरति परविहन ईधन के रूप में **कंपरेस्ड गायो-गैस (CBG)** को बढ़ावा देना है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, विभिन्न वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. "वहनीय (एफोर्डेबल), विश्वसनीय, धारणीय तथा आधुनिक ऊर्जा तक पहुँच संधारणीय (सस्टेनेबल) विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.) को प्राप्त करने के लिये अनिवार्य है।" भारत में इस संबंध में हुई प्रगतिपर टपिकों कीजिये। (2018)

स्रोत: द हंडि

